



प्रदूषण नविकारण और संसाधन दक्षता

प्रस्तावति पर्यावरणीय और सामाजिक मानक 3*

प्रस्तावति ईएसएस 3 कसि बारे में है?

प्रस्तावति मानक में संसाधनों के संरक्षण में सुधार करने, ऊर्जा, जल, मृदा और सभी प्रकार के कच्चे माल जैसे संसाधनों के उपयोग की तीव्रता को कम करने के उपाय करने की अपेक्षा की गई है।

प्रस्तावति ईएसएस3 सुरक्षा नीति विवरण(2009) के तहत प्रदूषण रोकथाम, संसाधन संरक्षण और ऊर्जा दक्षता आवश्यकताओं पर आधारित है।

* ईएसएस3 का पूरा पाठ सुरक्षा नीति समीक्षा: मसौदा नीति एशियाई विकास बैंक (adb.org). <https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review/draft-policy> पर है। यह सूचना विवरणिका प्रस्तावति पर्यावरण और सामाजिक रूरेखा (ईएसएफ) संबंधी परामर्श मसौदे के आधार पर केवल सूचनार्थ तैयार की गई थी। Q4 2023 में निर्धारित वर्कगि पेपर के हिससे के रूप में प्रस्तावति पर्यावरणीय और सामाजिक रूरेखा (ईएसएफ) के पूरण पाठ पर एडीबी नदिशक मंडल से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा। अंतिम ईएसएफ पर 2024 में एडीबी नदिशक मंडल द्वारा अनुमोदन के लिए विचार किया जाएगा।



**SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE**





इस मानक के उद्देश्य हैं:

- ऊर्जा, जल, मृदा और कच्चे माल सहित संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना;
- परियोजना गतिविधियों से उत्पन्न सभी प्रकार के प्रदूषण से बचाव करना और, जहां बचाव संभव न हो, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभावों को कम करना;
- परियोजना-संबंधित उत्सर्जन से बचना और, जहां बचाव संभव न हो, नर्वहन को न्यून करना जो हवा, जल और मृदा सहित पर्यावरणीय मीडिया में प्रदूषण का कारण बनते हैं;
- सभी प्रकार के खतरनाक और गैर-खतरनाक कचरे के उत्पादन से बचना और, जहां बचाव संभव न हो, तो न्यून करना और जब ऐसा कचरा उत्पन्न हो, तो उसका उचित प्रबंधन करना;
- खतरनाक रसायनों, पदार्थों और सामग्रियों के उपयोग, भंडारण, ढुलाई, अनुप्रयोग और उत्पादन से जुड़े जोखिमों और प्रभावों से बचाव करना, न्यून करना और प्रबंधित करना;
- कीटनाशकों के उपयोग से जुड़े जोखिमों और प्रभावों से बचाव, न्यूनीकरण और प्रबंधन करना।



नये और बेहतर नीतित्त प्रावधान क्या हैं?

1



संसाधन संरक्षण

प्रस्तावित पर्यावरणीय और सामाजिक मानक 3 (ईएसएस 3) में हवा, जल और मृदा के पारिस्थितिक तंत्र की जीवन-समर्थक क्षमता की सुरक्षा पर जोर दिया गया है और ऊर्जा, जल, मृदा और कच्चे माल सहित संसाधनों के स्थायी उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। कर्जदार/ग्राहक संसाधन संरक्षण में सुधार, संसाधन उपयोग की तीव्रता को कम करने और ऊर्जा, पानी, मृदा और कच्चे माल के साथ-साथ अन्य संसाधनों की कुशल खपत सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी और वित्तीय रूप से व्यवहार्य उपाय लागू करेगा।

2



अपशिष्ट और रसायन

प्रस्तावित मानक में खतरनाक और गैर-खतरनाक कचरे के प्रत्यक्ष या परोक्ष उत्पादन और खतरनाक रसायनों, पदार्थों और सामग्रियों के निर्माण, व्यापार और उपयोग के बारे में कर्जदारों/ग्राहकों के लिए अपेक्षाओं को स्पष्ट किया गया है।

3



कीटनाशक

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहकर्म-समीक्षित साक्ष्यों के आधार पर, प्रस्तावित मानक में कीटनाशकों के उपयोग को कम करने और प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए बेहतर आवश्यकताओं को शामिल किया गया है, जिसमें उन तरीकों को प्राथमिकता दी जाएगी जो किसी भी पर्यावरणीय और सामाजिक रसिप्टर्स के लिए कम से कम जोखिम होंगे।

4



प्रदूषण नविवरण दिशानिर्देश

उधारकर्ता/ग्राहक मेजबान देश के लागू कानूनों और लागू अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों जैसे विश्व बैंक समूह पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा दिशानिर्देश या अच्छे अंतरराष्ट्रीय अभ्यास की प्रासंगिक आवश्यकताओं को लागू करना जारी रखेगा। जहां मेजबान देश के लागू कानूनों के तहत आवश्यकताएं ऐसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों से भिन्न होती हैं, उधारकर्ता/ग्राहक परियोजना-प्रभावित व्यक्तियों या पर्यावरण के लिए जो भी अधिक कठोर या अधिक सुरक्षात्मक होगा, उसे हासिल करेगा।